कार्यालय चौ0मु0 सिंह राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, दौराला–मेरठ।

पत्रांक संख्या । 30 /रा0म0पा0 दौराला (वि0सू0)–2026 दिनांक 05/05/26

–::नीलामी सूचना::–

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत दौराला, मेरठ में संचालित संस्था चौ0मु0 सिंह राजकीय महिला पालीटेक्निक दौराला, मेरठ की भूमि पर युकेलिप्टिस के 14, शीशम के 02, बकायन के 02, जामुन के 02, अमलताश का 01, कटहल का 01, नीम का 01 एवं गूलर का 01 (कुल विभिन्न 24 वृक्ष) वृक्षों की नीलामी संस्था चौ0मु0 सिंह राजकीय महिला पालीटेक्निक दौराला, मेरठ की भूमि पर दिनांक 12.05.2026 को प्रातः 11::00 बजे संस्था प्रधानाचार्य द्वारा गठित समिति के सम्मुख की जायेगी। समस्त नियम व शर्ते प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग मेरठ के पत्र संख्या 4533/22–1 मेरठ, दिनांक 23, मार्च 2026 के अधीन होगी। जिसकी जानकारी संस्था के नोटिस बोर्ड/संस्था की बेव साइट **https://ggpdaurala.in** अथवा नगर पंचायत दौराला, मेरठ के सूचना पट से प्राप्त की जा सकती है। सम्पूर्ण नीलामी प्रकिया प्रधानाचार्य के अधिकार क्षेत्र में होगी जिसको किसी भी विसंगति की स्थिति में रद्द किया जा सकता है एवं अंतिम निर्णय प्रधानाचार्य चौ0मु0 सिंह राजकीय महिला पालीटेक्निक दौराला मेरठ का होगा।

(मुकेश कुमार)
प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य
चौ० मु०सिंह राजकीय महिला पालीटेक्निक
दौराला-मेरठ

चौ0मु0 सिंह राजकीय महिला पालीटेक्निक, दौराला मेरठ के परिसर में दिनांक 09.05.2026 को प्रातः 11::00 बजे वृक्षों के पातन के लिए नीलामी हेतु आवश्यक नियम व शर्तें:–

1. नीलाम द्वारा निस्तारित किये जाने वाले वृक्षों के पातन हेतु संबंधित क्रेता को शासनादेश संख्या 1245 / 14–5–2010–91 / 2010 वन अनुभाग–5 दिनांक 10.08.2010 के अनुपालन में पातन अनुमति शुल्क प्रति वृक्ष रूपये 100.00 र्थात कुल रू0 2400.00 (दो हजार चार सौ रू0 मात्र) जमा कर प्रभागीय निदेशक मेरठ के कार्यालय में नियमानुसार पातन अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. संबंधित क्रेता को वृक्षों के पातन से उत्पादित प्रकाष्ठ के अभिवहन हेतु रू0 38.00 प्रति टन जमा कराकर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ अभिवहन पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना पास प्राप्त किये प्रकाष्ठ का अभिवहन न किया जायेगा।
3. मूल्यांकित वृक्षों के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृक्ष का पातन अवैध रूप से किया जाता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित क्रेता का होगा।
4. नीलामी उपरान्त वृक्षों के पातन हेतु अनुमति प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. नीलामी की प्रकिया में प्रतिभाग करने वाले ठेकेदारों को धरोहर राशि के रूप में रूपये 25000 / – (रू0 पच्चीय हजार मात्र) संस्था में जमा कराना अनिवार्य होगा।
6. नीलामी प्रकिया में भाग करने वाले ठेकेदार दिनांक 12.05.2026 की प्रातः 10.00 से 11.00 बजे के मध्य संस्था परिसर में उपस्थित होकर धरोहर राशि जमा कर दें। तय अवधि में धरोहर राशि जमा न करने वाले ठेकेदार नीलामी प्रकिया में प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे।

(मुकेश कुमार)
प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य
चौ० मु०सिंह राजकीय महिला पालीटेक्निक
दौराला-मेरठ